राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
राअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

माघ 7, सोमवार, शाके 1941–जनवरी 27, 2020

Magha 7, Monday, Saka 1941–January 27, 2020

भाग-I(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2020

संख्या प.7( )सम्पर्क/2019/110-116 :-बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के पैरा 181 के अनुसरण में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना लागू की जाती है। जिसके तहत उन अधिस्वीकृत पत्रकारों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है को 5,000/- रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

1. ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार एजेन्सी में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हो (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार एजेन्सी के सम्पादक, प्रकाशक व मालिक सहित) और उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो को 5,000/- रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी।
2. यह सम्मान राशि प्रारम्भ में पांच वर्ष के लिए दी जायेगी।
3. यह केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन/पेंशन/नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
4. अधिस्वीकृत पत्रकार को 50/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा कि वह आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता है।
5. अधिस्वीकृत पत्रकार जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से कम से कम 10 वर्ष तक नियमित रूप से अधिस्वीकृत रहे हो, इस योजना हेतु पात्र होंगे।
6. पात्र अधिस्वीकृत पत्रकार को 5,000/- रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी।
7. अधिस्वीकृत पत्रकार को बैंक में एकल नाम से बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में राशि जमा की जा सके। इसके लिए पत्रकार को आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनके बैंक खातों में प्रतिमाह सम्मान राशि जमा की जा सके।
8. अधिस्वीकृत पत्रकार पर किसी प्रकार को कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए।
9. सम्मान राशि स्वीकृति के संदर्भ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में गठित अधिस्वीकरण समिति प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंषा देगी। अधिस्वीकरण समिति के गठन न होने की स्थिति में विभागीय समिति का गठन किया जायेगा, जो प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंषा देगी। जिस पर अन्तिम निर्णय राज्य सरकार का होगा।

Scanned by CamScanner

10. यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों, मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है, तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी। सम्मान राशि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
11. सम्मान राशि स्वीकृति के 5 वर्ष पश्चात प्रकरणवार समीक्षा की जायेगी।
12. दिवंगत हो चुके अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई सम्मान राशि का भुगतान अधिस्वीकृत पत्रकार की विधवा को सम्मान की आधी राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

"राजस्थान वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना" वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी. संख्या 101905243 दिनांक 05.11.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर यह स्वीकृति जारी की जाती है।

अभय कुमार,
प्रमुख शासन सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Scanned by CamScanner